न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 31 / 2011

तारीख दायरा—11.03.2011

तारीख निर्णय—27.06.2019

1. श्री शंकरलाल पिता मनरूप जी ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री धुलीराम पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री गणेशलाल पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री मोहनलाल पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
5. श्रीमती नवली पत्नि स्व. चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
6. श्रीमती लक्ष्मी (पिता चुन्नीलाल जी) पत्नि लक्ष्मीलाल ब्राह्मण निवासी रावलीया खुर्द तहसील गोगुन्दा।
7. श्री फतहलाल पिता हीरा जी ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
8. श्री चुन्नीलाल पिता लक्ष्मीचन्द जी मेहता ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
9. श्री गिरीश कुमार पिता मगनलाल जी ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा, हाल अम्बाजी गुजरात।
10. श्रीमती भगीबाई पत्नि श्री मगनलाल जी ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा, हाल अम्बाजी गुजरात।
11. श्री शंकरलाल पिता दलसुख जी ब्राह्मण निवासी (ब्राह्मणों की भागल) नान्देशमा तहसील गोगुन्दा, हाल अम्बाजी गुजरात।
12. श्रीमती तुलसीबाई पिता दलसुख जी पत्नी लक्ष्मीचन्द जी ब्राह्मण निवासी मातासोला (वास) ओगणा तहसील गोगुन्दा, हाल अम्बाजी गुजरात।
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री दुर्गा शंकर पालीवाल

प्रतिवादी की ओर से— श्री शिव शंकर जोशी

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा नान्देशमा पटवार क्षेत्र नान्देशमा तहसील गोगुन्दा में परिशिष्ठ "क" एवं "ख" में वर्णित आराजियात स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण के सजरा खानदान में मूल पुरूष श्री हीरा जी थे, जिनके तीन पुत्र मनरूप, चुन्नीलाल, एवं फतहलाल हुए। चुन्नीलाल भी फोत हो चुके है, जिनके देवीलाल, धुलीराम, गणेशलाल, मोहनलाल पुत्र नवली पत्नि एवं लक्ष्मी पुत्री है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी सम्पति होकर संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। हीरा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी के पिता मनरूप जो हीरा का बडा पुत्र होने से उनके खाते आई एवं मनरूप की मृत्यु के बाद गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता श्री चुन्नीलाल के नाम विरासत से दर्ज करा ली है एवं चुन्नीलाल की मृत्यु के बाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त आराजियात मौरूसी सम्पति होने से वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम पर दर्ज होने से भूमि का कानूनी बंटवाड़ा भी नही हो सका है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजियात में वादी का हिस्सा वादी के नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 आजकल का बहाना बनाते रहे व समय गुजारते रहे। ऐसी स्थिति में वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ठ क में अंकित आराजियात में वादी को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 7 को 1/6 हिस्से का एवं परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजिया में वादी को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 7 को 1/3 हिस्से का तथा आराजी नम्बर 10334 आ.चा. में वादी को 2/27 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को 2/27 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 7 को 2/27 हिस्से का खातेदार घोषित फरमया जाकर राजस्व अभिलेखों में अलम दरामद कराया जावें एवं भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन कराये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। वादीगण का वाद दिनांक 29.10.2012 को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा नान्देशमा की आराजी नम्बर 8956/1 रकबा 0.0100, 9864/1 रकबा 0.0275, 10366/1 रकबा 0.0200 किता 3 कुल रकबा 0.0575 है0 भूमि का शंकरलाल पिता मनरूप को, 8492 रकबा 0.0100, 8843 रकबा 0.0450, 8956 रकबा 0.0200, 9864 रकबा 0.0275, 10366 रकबा 0.0300 किता 5 कुल रकबा 0.1325 है0 भूमि का देवीलाल, धुलीलाल, गणेशलाल, मोहनलाल, लक्ष्मी पिता चुन्नीलाल, नवली बेवा चुन्नीलाल, फतहलाल पिता हीरा ब्राहमण को, आराजी नम्बर 10362 रकबा 0.0250, 10363 रकबा 0.0300 किता 2 कुल रकबा 0.0550 है0 भूमि का देवीलाल, धुलीलाल, गणेशलाल, मोहनलाल, लक्ष्मी पिता चुन्नीलाल, नवली बेवा चुन्नीलाल 5/12, डाई बेवा मनरूप 5/12, फतहलाल पिता हीरा 1/6 को, आराजी नम्बर 8642 रकबा 0.0300 है0 का देवीलाल, धुलीलाल, गणेशलाल, मोहनलाल, लक्ष्मी पिता चुन्नीलाल, नवली बेवा चुन्नीलाल 5/12, दलसुख पिता दोला 5/12, फतहलाल पिता हीरा 1/6 को एवं आराजी नम्बर 10334 रकबा 0.0250 है0 भूमि का देवीलाल, धुलीलाल, गणेशलाल, मोहनलाल, लक्ष्मी पिता चुन्नीलाल, नवली बेवा चुन्नीलाल 4/108, लालु पिता देवीलाल 1/108, फतहलाल पिता हीरा 1/108 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतद्नुसार डिकी पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2019.07.11 15:53:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: